फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :- 216/2021

सब्बू खॉ बनाम सरकार

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रामरतन मीणा हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। वादी ने यह वाद बाबत् नाम दुरूस्ती इन्द्राज का पेश किया है। वादी विवादित भूमि खाता संख्या नया 546 पुराना 486 में खसरा नंबर 2678, 2679, 2680, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687 कुल किता 08 कुल रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम चाकसू पूर्व तहसील चाकसू मे सम्पूर्ण हिस्सा के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादी के विक्रय पत्र के नामान्तकरण में नाम बाबू खॉ पुत्र पीर खॉ दर्ज होना बताया है जबकि उनके वादी का वास्तविक नाम सब्बू खॉ पुत्र पीर खॉ दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे विक्रय पत्र से प्राप्त हुई है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में बाबू खॉ पुत्र पीर खॉ के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह सिद्ध नही किया है कि सब्बू खॉ पुत्र पीर खॉ नाम का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है। अतः वादी के शपथ पत्र एवं जवाब सरकार के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि बाबू खॉ पुत्र पीर खॉ एवं सब्बू खॉ पुत्र पीर खॉ एक ही व्यक्ति है। अतः वादी का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में बाबू खॉ उर्फ सब्बु खॉ पुत्र पीर खॉ दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। ह० उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	